रिक्त

को प्रेषित

22/11/24 आज पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता श्री [illegible] द्वारा पत्र प्रस्तुत किया गया पूरा है। [illegible] उपखण्ड अधिकारी की ओर से [illegible] की कोई मौखिक नहीं। उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 07.08.2024 को पढ़ा गया। उपखण्ड अधिकारी [illegible] पत्रावली वास्तविक अधिकारी की [illegible] पहुँचा [illegible] पत्रावली निर्णीत लेकिन [illegible] दर्ज है।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.28 16:51:35 IST
Reason: SelfAttested